न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 02/2025

पीठासीन अधिकारी –कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान

प्रार्थीगण – 1. इमरान पुत्र जादम 2.जुली पत्नि जादम 3.मुमताज पुत्री जादम 4.सकूर 5.सुमार पि.साधक 6.सलामत पत्नि साधक 7.सादक पुत्र जादम, जातियान मुसलमान निवासी धनाऊ, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.तहसीलदार धनाऊ
2.शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा धनाऊ

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – **श्री ईलम खान समेजा**

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 15/05/25

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा धनाऊ, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर में खसरा सं. 392 रकबा 18.7774 हैक्टयर का आया हुआ है। जो प्रार्थीगण की पुश्तैनी एवं पैतृक खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण पीढियों से काबिज है।

प्रार्थीगण के उक्त खेत की तरमीम वक्त सेटलमेन्ट परिशिष्ट 'ब' अनुसार की गई थी, उसी अनुसार प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज है [illegible] में राजस्व रेकर्ड को ऑनलाईन करते समय प्रार्थीगण के खेत खसरा सं. [illegible] को सूचित किये बिना परिशिष्ट 'अ' अनुसार कर दी गई जिसकी जानकारी तत्समय प्रार्थीगण को नहीं हो सकी।

जब प्रार्थीगण को उक्त गलत तरमीम की जानकारी हुई तो प्रार्थीगण ने तहसीलदार धनाऊ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार धनाऊ ने तरमीम दुरुस्ती हेतु श्रीमान के न्यायालय में आवेदन पेश करने के निर्देश दिये।

इसलिए प्रार्थीगण अपने खेत की तरमीम शुद्ध करवाना चाहता है, जिस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.06 08:48:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया किया गया। प्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि. नोटिस तलब किया गया। तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा गया ।

तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित हुए। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार धनाऊ से जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है, स्वीकार है। उसी अनुसार तरमीम दुरस्त की जावे तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण अधिवक्ता तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है। इसलिए प्रार्थीगण आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर मौजा धनाऊ तहसील धनाऊ के खसरा सं. 392 रकबा 18.7774 हैक्टयर भूमि की तरमीम तहसीलदार धनाऊ द्वारा पेश मौका रिपोर्ट में सलंग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार धनाऊ की मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 15/5/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.06 08:48:46 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम · घनाऊ तहसील घनाऊ (बाड़मेर)

पैमाना १ = ४० गट्ठा

"परिशिष्ट "ब""

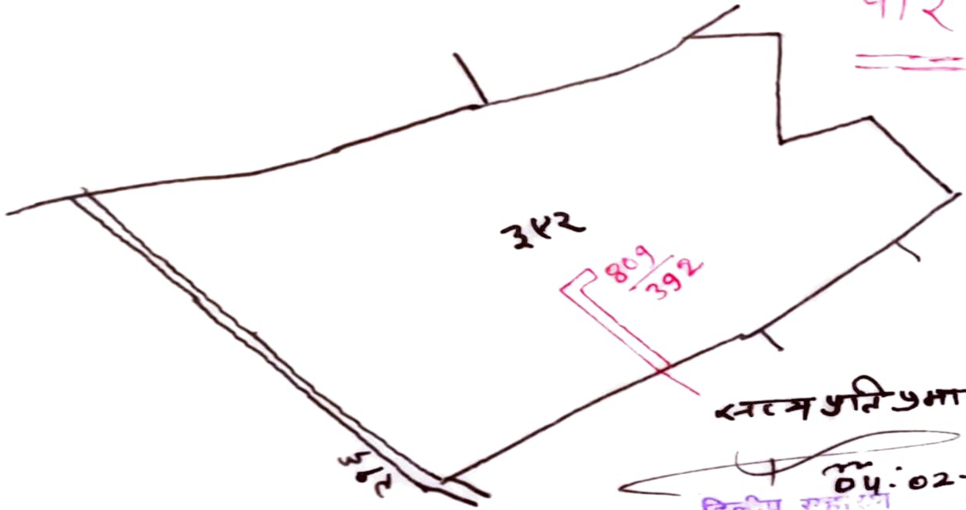

सत्य प्रतिप्रमाणित।

04.02.2025

दिलीप ...
पटवारी (भू.अ.) घनाऊ
तहसील घनाऊ (बाड़मेर)

वक्त सेटलमेंट के मोमीइस एवं लट्ठा ट्रेस में अंकितानुसार ख.नं. 392 रकबा 18.7774 हेक्टेयर भूमि का नक्शा जो शुद्धि हेतु प्रस्तावित है।

पटवारी घनाऊ

03/02/2025
I.LR घनाऊ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.06 08:48:46 IST
Reason: SelfAttested

Ex-Court

उपखण्ड अधिकारी
... चौहान